न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 75 / 2024 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता
   एफबीओ मैसर्सः—जी. आर एण्ड कम्पनी ए—6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा निवासी ए—6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा।
2. श्री गिरिराज प्रसाद खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स जी. के एण्ड कम्पनी नया कटला दौसा निवासी अग्रसेन नगर नई मण्डी रोड दौसा।
3. श्री कैलाश चन्द अटोलिया पुत्र श्री घासी लाल अटोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स जी. एच—5 अनाज मण्डी सुरज पोल जयपुर निवासी सी—65, लाल कोठी मार्ग बापू नगर जयपुर।
4. श्री हर्ष गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द अटोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स जी.एच—5 अनजा मण्डी सुरज पोल जयपुर निवासी सी—65, लाल कोठी मार्ग, बापू नगर जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(V)एवं दंडनीय धारा 58
(एफएसएस रूल्स 2006 व 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।
: श्री घनश्याम अटोलिया प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—27.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गूजर ने दिनांक 20.02.2024 को समय 12:21 PM पर मैसर्स जी. आर एण्ड कम्पनी ए—6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा निवासी ए—6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता उपस्थित मिला तथा पूछने पर श्री गिरिराज मोदी को मैसर्स जी. आर एण्ड कम्पनी ए—6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा का मालिक होना बताया। खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा रजिस्ट्रेशन बताया। श्री अंकित खण्डेलवाल की उपस्थिति में मैसर्स जी. आर एण्ड कम्पनी का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ लगभग 500—500 ग्राम के 7 पैकेट पॉली पैक धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Poly pack)** दुकान की रैक में रखा हुआ था। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल को नियमानुसार फार्म 5 ए की लिखित सूचना देते हुये श्री अंकित खण्डेलवाल व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फॉर्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता ने यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Poly pack)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की रैक में लगभग 500—500 ग्राम के 7 पैकेट पॉलीपैक धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** में से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पैकेट सील पैक ज्यों का त्यों का चयन कर इलेक्ट्रानिक मशीन से तुलवाकर खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 2.0 किलोग्राम 500–500 ग्राम के 7 पैकेट पॉलीपैक धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)**सील पैक नियमानुसार भरकर 376/–रूपये (अक्षरे तीन सौ छियत्तर रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये 2.0 किलोग्राम धनिया पावडर जी. आर. ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)**को श्री अंकित खण्डेलवाल एवं गवाहान को दिखाकर चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में 500–500 ग्राम धनिया पावडर जी. आर. ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयर टाइट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG**–4158 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**–4158 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर श्री अंकित खण्डेलवाल मैसर्स जी. आर. एण्ड कम्पनी ए–6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा से धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** का नमूना क्रय करते समय अन्य फर्म का वारंटी बिल मांगे जाने पर श्री अंकित खण्डेलवाल ने मेसर्स जी. के. एण्ड कम्पनी नया कटला दौसा से धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** क्रय करने का वारंटी बिल क्रमांक **GOD1008** दिनांक 03.01.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ सैनी कर्मचारी कार्यालय**CM&HO**दौसा को भेजकर दिनांक 21.02.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 21.02.2024 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** के नमूने की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./577/एक्ट/2024/689 दिनांक 27.02.2224 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)**का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा **2(II)** का उल्लंघन होने के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 की ओर से प्रतिनिधि श्री घनश्याम अटोलिया उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./577/एक्ट/2024/689 दिनांक 27.02.2224के अनुसार धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Natural colour curcumin (Turmeric) found ''present''** होने एवं **Test for turmeric ''Positive''** पाये जाने से खाद्य पदार्थ धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)**(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी **G.R. and Company** दौसा का दौसा में खाद्य पदार्थ का रिटेल व थोक का कारोबार है। प्रार्थी विक्रय की गई खाद्य सामग्री जिस भी प्रतिष्ठान से खरीदता है उसका बिल प्राप्त कर जमा करता है एवं जिस भी उपभोक्ता/व्यापारी को बेचता है उसका बिल जारी करता है। प्रार्थी ने **G.K. and Company** दौसा से बिल नम्बर **GOD 1045** दिनांक 24.01.2024 के जरिये धनिया पावडर 500 ग्राम खरीदा है। प्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर जो वस्तु जिस भी हालत में आती है उसी हालत में उसका विक्रय करता है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करता है। अतः प्रार्थी को प्रकरण में दोषमुक्त किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का **G.K. and Co.** का दौसा में खाद्य पदार्थ का रिटेल व थोक का कारोबार है। प्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थो का विक्रय करता है। प्रार्थी खाद्य सामग्री जिन भी प्रतिष्ठानों से खरीदता है उसका बिल प्राप्त कर जमा खर्च करता है एवं जिस भी उपभोक्ता/व्यापारी को बेचता है उसका बिल जारी करता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने मेसर्स घासीलाल एण्ड संस जयपुर से बिल क्रमांक 2199 दिनांक 09.01.2024 के जरिये धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** की खरीद की गई है, जिसका बिल प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थी ने इस माल में से बिल क्रमांक **GOD1045** द्वारा दिनांक 24.01.2024 को मैसर्स जी. आर. एण्ड कम्पनी दौसा को धनिया पावडर 500 ग्राम का विक्रय किया है जिसका बिल भी प्रार्थी ने मैसर्स जी. आर. एण्ड कम्पनी को जारी किया है। प्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर जो वस्तु जिस हालत में आती है उसी हालत में उसका विक्रय करता है उसमे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करता है। अतः प्रार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 की ओर से प्रतिनिधि श्री घनश्याम अटोलिया द्वारा निवेदन किया कि हमारे द्वारा विक्रय किया गया धनिया पाउडर अमानक पाया गया है। हमारा छोटा कार्य होने की वजह से मशीन (पैकिंग मशीन) एक होने के कारण एवं हमारे कार्य करने वाले द्वारा मशीन की सही तरीके से सफाई ना करने या कार्य करने वाले द्वारा पूर्ण निरीक्षण ना करने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:24 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह गलती हो गई। इसमे हमारे कोई दोष नहीं है। हमारा छोटा कार्य होने के कारण एवं पैकिंग मशीन एक ही होने के कारण यह गलती हुई है। भविष्य मे हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी एवं आगे से ऐसी कार्यवाही का मौका नहीं दिया जावेगा। अतः प्रकरण में हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्थना पत्रों एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 577 / एक्ट / 2024 / 689 दिनांक 27.02.2224 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में **Turmeric Powder Test''Positive''** पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)**(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा धनिया पावडर जी. आर ब्राण्ड **(Coriander Powder G.R. Brand Polypack)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री कैलाश चन्द अटोलिया पुत्र घासी लाल अटोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स जी. एच–5 अनाज मण्डी सुरज पोल जयपुर निवासी सी–65, लाल कोठी मार्ग बापू नगर जयपुर एवं अप्रार्थी संख्या 4 श्री हर्ष गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द अटोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स जी.एच–5 अनजा मण्डी सुरज पोल जयपुर निवासी सी–65, लाल कोठी मार्ग, बापू नगर जयपुर पर 5,00,000 / –(अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.01.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA**/ 2025 / दिनांकः– .01.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
   श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ताएफबीओ मैसर्सः–जी. आर एण्ड कम्पनी ए–6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा निवासी ए–6 सोमनाथ नगर आगरा रोड दौसा।
3. श्री गिरिराज प्रसाद खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स जी. के एण्ड कम्पनी नया कटला दौसा निवासी अग्रसेन नगर [illegible] रोड दौसा।
4. श्री कैलाश चन्द अटोलिया पुत्र श्री घासी लाल अटोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स जी. एच–5 अनाज मण्डी सुरज पोल जयपुर निवासी सी–65 लाल कोठी मार्ग बापू नगर जयपुर।
5. श्री हर्ष गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द अटोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स जी.एच–5 अनाज मण्डी सुरज पोल जयपुर निवासी सी–65, लाल कोठी मार्ग, बापू नगर जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:24 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा